उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या :67/2016/1240/छप्पन-2016-19/2011

लखनऊ : दिनांक : 05 सितम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इकाई के अन्तर्गत प्रवक्ता (एवियानिक्स) के पद पर श्री संतोष कुमार सिंह को रूपये 45,600/- प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री संतोष कुमार सिंह को उक्त संविदा अवधि में रूपये 45,600/- (रूपये पैंतालिस हजार छः सौ मात्र) एवं शासनादेश दिनांक 09.09.2014 के अन्तर्गत प्रावधानों के तहत 05 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते आदि देय नहीं होंगे। उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में शर्तें वही लागू होगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती है। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम-157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भाँति देय होगा।

3- श्री संतोष कुमार सिंह से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

श्री संतोष कुमार सिंह (संविदा सेवा)
फ्लेट नं0- 5, टाइप-।।, ब्लाक - सी,
एयरक्राफ्ट कालोनी हिन्द नगर, लखनऊ-12

संख्या : 67/2016/1240(1)/छप्पन-2016 तददिनांक ।

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि श्री संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता (एवियानिक्स) से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- कार्मिक अनुभाग-1

8- नियोजन अनुभाग-4

9- सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।